राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खैरवाडा

जिला – उदयपुर (राज0)

कैम्प:–ग्रामीण सेवा शिविर–2025 ग्रामीण सेवा शिविर-2025

–:: आदेश ::–

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल– ... **बरोठी ब्राह्मणान** ..... व भू – अभिलेख निरीक्षक, वृत्त– .... **बावलवाडा** ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **खैरवाडा** की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम– **काकरदरा** .....

..... पटवार मण्डल– .... **बरोठी ब्राह्मणान** ..... तहसील– **खैरवाडा** जिला – **उदयपुर** की जमाबन्दी संवत्– **.....2075–2078**..... में खाता संख्या– 6,7 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं –

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
काकरदरा	06, 07	**मीरा पुत्री काला**	**मीरा पुत्री काना**

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा
जिला – उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाडा, उदयपुर (राज.)

क्रमांक :– **सेवा शिविर–2025/02/2025/1817–1818** दिनांक :–**08.10.2025**

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी .....**मीरा पिता काना** ..... सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला – उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाडा, उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner